


सेवा में,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
मेरठ।


महोदय,


सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 17.05.2024 जनपद न्यायालय मेरठ में स्थित विभिन्न बकाया दुकानों की नीलामी हेतु नियत है परन्तु श्री अचल नारायण सकलानी, सदस्य, नीलाम समिति अवकाश पर है और न ही कोई बोलीदाता उपस्थित है।

अतः आज की नीलाम प्रक्रिया यही समाप्त की जाती है। शेष दुकानों की नीलामी हेतु दिनांक 02.07.2024 नियत की जा सकती है।

पत्रावली माननीय महोदय की सेवा में सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा रही है।



(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-09, मेरठ



(चन्द्र प्रकाश तिवारी-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-01, मेरठ


17/5/24

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

जनपद न्यायालय परिसर मेरठ में स्थित दुकानों जिसमें स्टेशनरी, फोटोस्टेट, जलपान, भोजन, फलो की चाट, पान इत्यादि का कार्य किया जा सकता है, के स्थान की खुली बोली पद्धति से नीलामी दिनांक 02.07.2024 को प्रातः 10:30 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार में होगी। बोली भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धरोहर धनराशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 02.07.2024 को समय प्रातः 10:30 तक करानी होगी। उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली की स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी, नीलामी की शर्तों के अनुसार ^{जमाना} जमाना करनी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।


(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्या0सं0-09, मेरठ



(चन्द्र प्रकाश तिवारी-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्या0 सं0-01, मेरठ


प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

- 1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
- 2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।
- 3- नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 5- कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट व जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

जनपद न्यायालय परिसर मेरठ में स्थित दुकानों जिसमें स्टेशनरी, फोटोस्टेट, जलपान, भोजन, फलो की चाट, पान इत्यादि का कार्य किया जा सकता है, के स्थान की खुली बोली पद्धति से नीलामी दिनांक 02.07.2024 को प्रातः 10:30 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार में होगी। बोली भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धरोहर धनराशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 02.07.2024 को समय प्रातः 10:30 तक करानी होगी। उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली की स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी, नीलामी की शर्तों के अनुसार जमा करनी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।


(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्या0सं0-09, मेरठ


(चन्द्र प्रकाश सिंघा-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्या0 सं0-01, मेरठ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

- 1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
- 2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।
- 3- नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 5- कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट व जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 (अवधि दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) के लिये जनपद न्यायालय परिसर मेरठ में स्थित दुकानों जिसमें स्टेशनरी, फोटोस्टेट, जलपान, भोजन, फलो की चाट, पान इत्यादि का कार्य किया जा सकता है, के स्थान की नीलामी हेतु दिनांक 02.07.2024 को प्रातः 10:30 बजे तक चौदह न्यायालय भवन के सभागार में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिनांक, समय तथा स्थान पर बोली में भाग ले सकते हैं। नीलामी की नियम व शर्तें तथा दुकानों पर किये जाने वाले कार्य नोटिस बोर्ड, नजारत अनुभाग तथा नीलामी स्थल पर देखें जा सकते हैं।



(सुभाष चन्द)

केन्द्रीय नाजिर,

जनपद न्यायालय, मेरठ।